लोक सभा सचिवालय
(कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति शाखा)

प्रस्तावना

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां मार्च, 1993 में अस्तित्व में आईं थीं। इस समय, विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियां हैं (जिनमें से 16 लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में है तथा 8 राज्य सभा के अधिकार क्षेत्र में है जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण की निगरानी करती हैं)। समिति में लोक सभा के 21 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। विभाग से संबद्ध कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति 05 अगस्त, 2004 से अस्तित्व में है। वर्ष 2004 में विभाग से संबद्ध स्थायी समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से है।

कोयला और इस्पात संबंधी समिति का क्षेत्राधिकार

2. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित तीन मंत्रालय आते हैंः–

(क) कोयला मंत्रालय #
(ख) खान मंत्रालय *
(ग) इस्पात मंत्रालय *

कोयला और इस्पात संबंधी समिति के कृत्य

3. समिति के निम्नलिखित कार्य हैंः–

(क) संबंधित मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना तथा उस पर प्रतिवेदन बनाना तथा उसे संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में कटौती प्रस्तावों के बारे में कोई सुझाव नहीं होता है;

(ख) लोक सभा अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, समिति को सौंपे जाने वाले संबंधित मंत्रालयों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना तथा उन पर प्रतिवेदन बनाना;

(ग) संबंधित मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा उन पर प्रतिवेदन बनाना; और

(घ) लोक सभा अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा जैसी भी स्थिति हो, यदि समिति को सौंपे जाते हैं, सभाओं में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय मूल दीर्घकालिक नीति पर विचार करना तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

\# स्थायी समितियों के वर्ष 2004 में हुए पुनर्गठन तक, कोयला मंत्रालय लोकसभा की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में था।

* खान मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय स्थायी समितियों के पुनर्गठन होने तक राज्य सभा की उद्योग संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में थे।

4. स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों के दिन–प्रतिदिन के मामलों पर विचार नहीं करती हैं। समितियां आमतौर पर उन मामलों पर भी विचार नहीं करती है, जो अन्य संसदीय समितियों के द्वारा विचाराधीन हो।